(18)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 160/2011

बउनवान

1. दिलीपसिंह आयु 45 वर्ष पुत्र गीतारामसिंह जाति राजपूत
2. गुमानसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र जसवंतसिंह जाति राजपूत
3. प्रभूदयालसिंह आयु 75 वर्ष पुत्र सुखदेवसिंह जाति राजपूत
4. जसवंतसिंह आयु 80 वर्ष पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत
5. रघुराजसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र प्रभूसिंह जाति राजपूत
6. रामचन्द्रसिंह आयु 68 वर्ष पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासीगण रहलाई तहसील अटरू जिला बारां **(अपीलांटगण)**

बनाम

1. विक्रमसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी रहलाई हाल निवासी सरस्वती कॉलानी दण्डोतिया जी की बाड़ी बारां
2. गोविन्दसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह निवासी रहलाई निवासी गोविन्द धाम कोटा रोड़ बारां
3. शंभूदयाल पुत्र सुखदेवसिंह जाति राजपूत निवासी रहलाई
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्व आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू प्रकरण संख्या 5/2011 आदेश दिनांक 09.09.2011 बउनवान विक्रमसिंह वगैरा बनाम दिलीपसिंह वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट कम 1 **(अपीलांट)**
2–श्री बनेराज सिंह अभिभाषक अपीलांट कम 2 ता 6 **(अपीलांट)**
3–श्री बृजराजसिंह चौहान अभि. रेस्पो. कम 1 व 2 **(रेस्पोडेन्ट)**
4–अब्दुल गफ्फार अभिभाषक रेस्पो. कम 3 **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 31.10.2017

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के प्रकरण संख्या 5/2011 किस्म 251 आर.टी.एक्ट मे पारित आदेश दिनांक 09.09.2011 से अप्रसन्न होकर, अपील इस न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू का निर्णय खिलाफ कानून एवं न्याय के स्वीकृत सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

यह कि खसरा संख्या 136 की आराजीयात जो राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है इसी में से माईनर खसरा नं. 54 में होकर ग्राम कर्नाहेड़ा की ओर निकलती है जिसके सहारे रास्ता मौजूद है इस बाबत ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती द्वारा सन 1998 में तथा सन 2010–11 में प्रस्ताव संख्या 35 ग्रेवल रोड़ रहलाई से कर्नाहेड़ा तक का पास किया हुआ है जिसे ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती द्वारा दिनांक 20.08.2011 को राज्य सरकार के आदेश से पास कर प्रस्ताव संख्या 2 पास किया हुआ है। जिसमें खसरा नंबर 54 बेवड़ावाला रहलाई से कर्नाहेड़ा जो 26 फुट से लेकर 150 फुट की चौड़ी पट्टी सरकारी खाते में दर्ज है। इसमें वर्तमान में 10 फुट चौड़ाई में माईनर बना हुआ है बाकी करीब 16 फुट से 140 फुट भूमि पर अवैध अतिक्रमण रेस्पो. कम 2 गोविन्दसिंह ने किया हुआ है। इसे हटाये जाने का प्रस्ताव भी लिया हुआ है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने

(19)

कोई गौर नहीं किया तथा एकतरफा रूख अख्तयार करते हुये रेस्पो. को फायदा पहुंचाने की नियत से मनमाना तथा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। खसरा नंबर 54 जो माईनर निकली हुई है जिसके सहारे रास्ता है वहां नहर के उपर से निकलने का खुरा बना हुआ है उस खुरे तक हाईवे से लेकर कर्नाहेड़ा की ओर पक्का डामर रोड़ बना हुआ है उसे मिलाने के लिये माईनर के सहारे सहारे ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती द्वारा उक्त प्रस्ताव लिया हुआ है। जिसे नजरअंदाज करते हुये अपीलांटगण को परेशान करने की नियत से रिकार्ड में किसी प्रकार का रास्ता दर्ज नहीं होते हुये भी नया रास्ता कायम किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को नया रास्ता कायम करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल अपीलांट कम 1 दिलीपसिंह को दिनांक 17.08.2011 को नोटिस जारी किया गया है इसके अतिरिक्त शेष अपीलांटगण को तथा मृतक धनसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी रहलाई को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। दिनांक 05.08.2011 को ग्राम वासियान द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार अटरू को पेश किया जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई उल्लेख नहीं है। अपीलांटगण द्वारा दिनांक 29.08.2011 को नोटेरी से तस्दीक कराकर शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहा तो अधीनस्थ न्यायालय ने लेने से इंकार कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण को एकतरफा फायदा पहुंचाने की नियत से पूर्ण धारणा बनाकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक धनसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत के विरूद्ध भी आदेश पारित किया है जबकि मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

धारा 251 की कार्यवाही हेतु प्रथम अधिकार रास्ते के सन्दर्भ मे ग्राम पंचायत को है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित अवधि 45 दिन मे निस्तारण नही किये जाने की स्थिति मे ग्राम पंचायत तहसीलदार को मूल प्रार्थना पत्र भिजवायेगी। जबकि उक्त प्रकरण मे ग्राम पंचायत मे कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ न ही तहसील द्वारा भिजवाया गया। ग्राम पंचायत की कार्यवाही के बिना सीधे तहसीलदार को धारा 251 आर.टी.ए मे कार्यवाही सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टगण को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलांटगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी भी प्रकार का रास्ता कायम ना करे ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

अपील पेश होने पर दिनांक 13.09.2011 को दर्ज रजिस्टर कर, अपीलांटगण के अभिभाषक को अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुना जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कियान्विति स्थगित की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई, तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी अटरू को भिजवाई जाकर मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट मंगवाई गई। उपखण्ड अधिकारी की मौका रिपोर्ट पत्र दिनांक 21.09.2011 से प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। अपीलांटगण ने मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2011 को पक्षपातपूर्ण बताते हुये पुनः मौका निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका जवाब रेस्पोडेन्टगण ने प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट को सही बताते हुये अपीलांटगण का इस बाबत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की इस्तदुआ की। दिनांक 30.09.2011 को दोनों पक्षों के अभिभाषकगण ने सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली पेश होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि यदि ग्राम रहलाई के खसरा नंबर 136 व 54 जो चारागाह है को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया जावे तो रास्ते की समस्या हल हो जावेगी। यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार अटरू को ग्राम रहलाई के खसरा नंबर

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(20)

136 व 54 किस्म चारागाह से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। जो उनके पत्र दिनांक 21.01.2014 से प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट क्रम 2 ता 6 व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 3 उपस्थित नहीं हुये। परन्तु प्रकरण बहस की स्टेज में लगभग पोने चार वर्ष की अवधि से लम्बित रहने पर हमने उपस्थित अभिभाषक अपीलांट क्रम 1 एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की बहस सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट क्रम 1 ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम वासियान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2011 पर कोई गौर नहीं किया तथा मनमानीपूर्ण आदेश पारित कर नया रास्ता कायम कर नया खसरा नंबर बनाकर रेकार्ड में तरमीम करवा दी जबकि तरमीम एवं नया खसरा नंबर बनाने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है। धारा 251 की कार्यवाही हेतु प्रथम अधिकार रास्ते के सन्दर्भ मे ग्राम पंचायत को है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित अवधि 45 दिन मे निस्तारण नही किये जाने की स्थिति मे ग्राम पंचायत तहसीलदार को मूल प्रार्थना पत्र भिजवायेगी। जबकि उक्त प्रकरण मे ग्राम पंचायत मे कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ न ही तहसील द्वारा भिजवाया गया। ग्राम पंचायत की कार्यवाही के बिना सीधे तहसीलदार को धारा 251 आर.टी.ए मे कार्यवाही सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी अटरू से न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट दिनांक 21.09.2011 जिसमें अंकित किया गया है कि "विवादित रास्ता ग्राम रहलाई से लुहारिया जाने वाली सड़क के पश्चिमी ओर चरागाह खसरा नंबर 136 से होता हुआ खसरा नंबर 76 व 78 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे आगे के खेतों में जाता रहा है मौके पर 1 से 3 फुट गहराई का आवागमन का कदीमी रास्ता बना हुआ है किन्तु नक्शे में कटा हुआ नहीं है। खसरा नंबर 76 व 78 के काश्तकार दिलीपसिंह द्वारा धान की बुआई कर रास्ता रोक दिया गया है पूर्व व वर्तमान खातेदारान से जानकारी लेने पर बताया गया कि जुलाई 2011 में धान की बुआई की गयी थी उससे पूर्व यह रास्ता चालू था। खसरा नंबर 76 व 78 के आगे रास्ते के निशानात ट्रेक्टर आदि के बने हुये हैं। इस प्रकार निष्कर्ष है कि खातेदार द्वारा कदीमी रास्ते को बाधित किया गया है" अनुसार प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर प्रकरण निस्तारित किया जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस को सुना एवं इस न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे जाहिर आया कि उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम रहलाई की आराजी खसरा नंबर 136 व 54 किस्म चारागाह पर अवस्थित अतिक्रमण को हटवाने हेतु निवेदन किया गया था तथा अतिक्रमण हटने पर ही प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण होना उनकी स्वीकारोक्ति है। तहसीलदार अटरू के पत्र क्रमांक 300 दिनांक 21.01.2014 खसरा नंबर 54 एवं 136 में से अन्य कृषकों के खेत पर आने जाने का रास्ता खुला है तथा इस रास्ते पर से आने जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अपील अपीलांटगण खारिज किये जाने योग्य पाई जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर, बारां